प्रपत्र स० 3

2-2

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

संख्या:- 5519 /III(2)/10-06(मु0मं0घो0)/2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2010

विषयः-- **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, कुमार्यू क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्र सं0:- 1871/02 यातायात-क दिनांक 27-08-2010 द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पिथौरागढ़ में संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये आंकलित की गई लागत ₹ 816.90 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई **धनराशि ₹ 816.90 लाख (रू0 आठ करोड़ सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न विवरणानुसार प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 07 कार्य हेतु ₹ 0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) को व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

महिमा

8— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:— 2047 / XIV—219(2
30—05—2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते सम
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधि
अभियन्ता का होगा।

10— इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010—11 में लोक निर्माण विभाग के
सं0—22—लेखाषीर्शक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय —04 जिला तथा अ
—आयोजनागत —800—अन्य व्यय—03 राज्य सेक्टर— 02 नया निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण का
डाला जायेगा ।

**11— यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या— 440 / XXVII/(2)/2010 दि0: 15 अक्टू
में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदी

(महिमा
अनु सचि

संख्याः—5519 (1) / III(2) / 10—06(मु0मं0घो0) / 2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायॅू क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़ / देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
9. लोक निर्माण अनुभाग—1 / 3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिम
अनु स

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ

शासनादेश संख्याः— 5519 (1)/ III(2)/10—06(मु0मं0घो0)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010

का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010—11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	जनपद पिथौरागढ में पाली—रतोली मोटर मार्ग का भौतड़ी तक विस्तार **घोषणा सं0:—134/2010**	3.00	37.80	**0.10**
02	जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारी गांव—रजवार— बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण। **घोषणा सं0:— 138/2010**	10.00	126.00	**0.10**
03	जनपद पिथौरागढ़ में मडमांडले से ग्लात मोटर मार्ग का नव निर्माण। **घोषणा सं0:—137/2010**	2.00	25.20	**0.10**
04	जनपद पिथौरागढ़ में जुगापानी—कोलटिया मोटर मार्ग का नवनिर्माण। **घोषणा सं0:—135/2010**	6.00	75.60	**0.10**
05	जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव मलान, काण्डाधार चमडुंगरी मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निर्माण। **घोषणा सं0:—133/2010**	9.00 + 2सेतु	113.40	**0.10**
06	जनपद पिथौरागढ़ में रॉथी—जुम्मा—खेला—गर्गुवा —खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निर्माण। **घोषणा सं0:—121/2010**	30.00 + 1 सेतु	388.50	**0.10**
07	जनपद पिथौरागढ़ में पीपली—पन्तसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण। **घोषणा सं0:—136/2010**	4.00	50.40	**0.10**
	योगः—		**816.90**	**0.70**

(कुल ₹ सत्तर हजार मात्र)

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव

कार्यालय

कु० अ०, लोक निर्माण विभाग

अल्मोड़ा

प०सं० 2935 / 01 बजट (नये कार्य) मु०मं०घो०/10-11 दि०-23/10/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ,
2. यातायात वर्ग— प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० अलमोड़ा,

मुख्य अभियन्ता

कु० क्षे०, लोक निर्माण विभाग

अल्मोड़ा।

पृष्ठांकन संख्या- 4280/509 आलo-3/10 दि० 1-11-10

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रा०खं० लो०नि०वि० ... डीडीहाट अस्कोट ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता

तृतीय वृत्त लो०नि०वि०

सत्य प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

... खण्ड लो०नि०वि० पिथौरागढ